

कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय एफ0आर0आई0,
देहरादून।

विषय:-जनपद-अल्मोड़ा में विधानसभा सल्ट के अन्तर्गत कुलोनी मुनड़ा देवीखाल मोटर मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में।
(FP/UK/ROAD/10159/2015)

महोदय,

विषयांकित मोटर मार्ग के सम्बन्ध में कार्यालय अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत के पत्रांक 3006/36सी0 दिनांक 24-12-2016 से प्राप्त आख्या के क्रम में विन्दुवार आख्या मय संलग्नक सहित प्रेषित की जा रही है।

S.No	EDS	REPLY
1	In reply point No.-2 the Nodal officer has certified that the 6.44 ha civil soyam land selected for CA is suitable for CA. The certificate is stated to have been given on the basis of the certificate issued by the DFO almora forest division whereas it mentioned that the land is degraded forest land and the findings of DSS analysis to the effect that the area is covered by forest is not correct. But nothing has been mentioned about canopy density in the area identified for CA in the certificate issued by him and submit revised certificate to this office.	Civil oyam land Area 6.44 ha selected for CA is certified by DFO is being uploaded serial no-44 as a additional information form A part-I. As
2	In reply to point No-3 interalia it is mentioned that Bangidhar and Barahliya village come under gram panchayat Bamgidhar. But it is seen from the proceedings that the name of the gram panchayat is Barahliya and not Bangidhar. Moreover the name of the village Barahliya only is mentioned in third para of the proceedings. Revised proceedings may be submitted mentioning names of both the village.	Revised proceedings village Bangidhar and Barahliya come under gram panchayat Bamgidhar is being submitted with revised FRA document uploaded as serial no-K form A part-I
3	In reply to point No.-4 , certified copy of the CA scheme has been submitted instead of original one. In this correction this to be stated for CA scheme for rupees 8,16,600 has been uploaded in online Part-II but CA scheme for rupees 8,28,787,76 of say 8.00 has been uploaded in online Part-I Whose certified copy has been enclosed with the reply. State Govt. may submit the original copy of the correct CA scheme and upload the same at designated place in online Part-I and online Part-II instead of para different CA schemes which created confusion.	CA scheme for rupees 8,28,787.76 has been uploaded as serial no-43 as a additional information form A part-I

CA suitability certificate given by nodal officer is being attached along with this document

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(विनोद कुमार)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

प्रारूप

1. परियोजना का ऑनलाई प्रस्ताव संख्या— FP/UK/ROAD/10159/2015
2. परियोजना का नाम एवं जनपद— जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत कुलोली-मुनड़ा-देवीखाल मोटर मार्ग का निर्माण। (लो0नि0वि0)
3. परियोजना का क्षेत्रफल (है0 में)— 3.22 है0
4. प्रयोक्ता एजेन्सी का नाम व पता— अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत।
5. वन प्रभाग का नाम— अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित बन्द्राण बसनाल क्षेत्रफल 6.44 है0 का पुनः दिनांक 20-12-2016 को श्री एस0आर0 प्रजापति, प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा द्वारा पुनः स्थलीय निरीक्षण किया गया। स्थलीय निरीक्षण के दौरान प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा सूचित किया गया है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र वनाच्छदित नहीं है, क्षेत्र झाड़ीनुमा व रिक्त है व उक्त क्षेत्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु सर्वथा उपयुक्त है। अतः क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उक्त प्रस्तावित क्षेत्र का नोडल अधिकारी (वन संरक्षण) द्वारा संस्तुति प्रदान की जाती है।
(संलग्न-प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र)

हस्ताक्षर:

अधिकारी का नाम :-

पदनाम:- अपर प्रमुख वन संरक्षक, वन संरक्षण एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड।
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, भूमि संरक्षण विदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून

सरकारी मोहर:


तिथि : 27/12/2016


स्थान : देहरादून

प्रारूप

1. परियोजना का ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या— FP/UK/ROAD/10159/2015
2. परियोजना का नाम एवं जनपद— कुलोली मुनड़ा देवीखाल मोटर मार्ग, अल्मोड़ा
3. परियोजना का क्षेत्रफल (हे० में)— 3.22 है०
4. प्रयोक्ता एजेंसी का नाम व पता— अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत।
5. वन प्रभाग का नाम— अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

प्रमाणित किया जाता है कि उरोक्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित बन्द्राण बसनाल क्षेत्रफल 6.44 है० का पुनः दिनांक 20-12-2016 को एस० आर० पूजाप्रति (प्रभागीय वनाधिकारी/सक्षम अधिकारी का नाम अंकित किया जाय) पुनः स्थलीय निरीक्षण किया गया। स्थलीय निरीक्षण के दौरान पाया गया है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र वनाच्छादित नहीं है, क्षेत्र झाड़ीनुमा व रिक्त है। अतः उक्त क्षेत्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु सर्वथा उपयुक्त है।


अधिशासी अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग, रानीखेत
[अल्मोड़ा]


वन क्षेत्र अधिकारी
अधिशासी वन क्षेत्र


हस्ताक्षर
प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

(सक्षम अधिकारी का नाम/पद/मोहर सहित) (प्रभागीय वनाधिकारी का नाम/पद/मोहर सहित)